भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 06/07/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 20 मार्च, 2026

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना
(मामला संख्याः -एडी(ओआई)-07/2026)

विषय: चीन जन.गण. और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा.सं. 6/07/2026-डीजीटीआर**: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा है) ने चीन जन.गण. और रूस (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई)" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "पीटीएफई" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुरु करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिस आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. और रूस से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई) रेजिन है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में रेज़िन रूप में पीटीएफई शामिल है। पीटीएफई का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और रासायनिक उद्योगों में इसकी अनूठी विशेषताओं जैसे रासायनिक निष्क्रियता, विद्युत और थर्मल इन्सुलेशन, घर्षण के कम गुणांक, गैर विषैले, गैर-ज्वलनशील, विकिरण प्रतिरोध, स्थिर और गतिशील घर्षण के निम्न स्तर और व्यापक आवृत्ति रेंज पर उत्कृष्ट विद्युत गुणों के लिए किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 39 और उप-शीर्ष 39046100 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

5. आवेदक ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है, जिन पर चीन जन.गण. और रूस से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पिछली जांच में मामला सं. एडी (ओआई)-19/2024 में विचार किया गया था, जिसके लिए अंतिम जांय परिणाम 19 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे।

क्र.सं.	मापदंड	आधार	पूरा नाम
i.	ए-पीटीएफई	ए-पीटीएफई	एक्यूएस डिस्पर्शन पीटीएफई
ii.	सी-पीटीएफई	सी-पीटीएफई	फिल्ड कंपाउंड पीटीएफई
iii.	डी-पीटीएफई	डी-पीटीएफई	फाइन पाउडर पीटीएफई
iv.	पीटीएफई	पीटीएफई	ग्रेनुलर पीटीएफई (सस्पेंशन ग्रेड)
v.	पीटी-पीटीएफई	पीटी-पीटीएफई	ग्रेनुलर मोडिफाइड पीटीएफई (मोल्डिंग/लो फ्लो वर्जिन/फ्री फ्लो वर्जिन ग्रेड)

6. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और चीन जन.गण.और रूस से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को चीन जन.गण. और रूस से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

8. यह आवेदन-पत्र गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध सामानों का केवल एक अन्य उत्पादक एसआरएफ लिमिटेड है, जिसने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया और आवेदन-पत्र का समर्थन किया है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद का एक अन्य उत्पादक हुआ करता था, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, जिसकी विचाराधीन उत्पाद विनिर्मित करने की सीमित क्षमता थी, हालांकि उसने संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया था। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या आयातक से संबद्ध है।

9. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यह देखा जाता है कि आवेदक द्वारा उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख अनुपात" है। इस प्रकार, आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और रूस हैं।

ड. **जांच की अवधि**

11. आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में अक्टूबर 2024 - सितंबर 2025 (12 माह) की अवधि का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। जांच के लिए क्षति की अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. **कथित पाटन का आधार**

क) चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और इस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और यह दर्शाने करने के लिए चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-। के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़ें उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से भारत में आयात पर विचार किया है। आवेदक के दावे की जांच सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद जांच प्रक्रिया के दौरान की जा सकती है। जांच शुरुआत करने के प्रयोजन से, सामान्य मूल्य, भारत में बिक्री और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उपयुक्त समायोजन के साथ भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दें और विधिवत् प्रमाणित दावे करें।

ख) रूस के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि वे रूस के घरेलू बाजार में या किसी प्रकाशित स्रोत से उत्पाद की कीमत का कोई साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। आवेदक ने निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र से या उपयुक्त तीसरे देश में निर्यात किए जाने पर समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, आवेदक ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए ब्राजील को रूस के निर्यात पर विचार किया। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद जांच के दौरान आवेदक द्वारा किए गए अनुरोधों की आगे जांच की जा सकती हैं। जांच की शुरुआत के लिए, बिक्री और प्रशासनिक खर्चों और लाभों के लिए विधिवत समायोजित उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर रूस के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

ग) निर्यात कीमत

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह खर्चे, अंतर्देशीय भाड़ा, सहायक पैकिंग,ऋण लागत और मालसूची वहन लागत के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

घ) पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण ताकि घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की मात्रा जांच की अवधि में कुछ गिराट के साथ क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से बढ़ी है। आयात घरेलू उद्योग

की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव डाल रहे हैं। आवेदक ने दावा किया कि संबद्ध सामानों की मौजूदगी के कारण उनके निष्पादन में उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर आय, नकद लाभ के संबंध में गिरावट आई है। आवेदक को वित्तीय हानियां, नकद हानियां और जांच की अवधि में निवेश पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रा और कीमत मापदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं।

18. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

19. आवेदक द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में दायर आवेदन-पत्र के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के और वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद का पाटन सिद्ध करने, तथाकथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क और घरेलू उद्योग को के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9के के अनुसा, प्राधिकारी, एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग क्षति समाप्त करने के पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तद्नुरूपी मामला आईडी एडी/ओई/008/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का

कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकार को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और संबद्ध सामानों से संबंधित ज्ञात भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

24. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov. को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- एडी/ओआई/008/ 2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) उस तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तारीख को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर दायर किया गया था। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में

उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर करें।

27. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

28. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिन से अधिक के और अधिक समय विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर सामान्यत: विचार नहीं किया जाएगा।

29 विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

32. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना" माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या खाली (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।

35. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

36. हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

38. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ढ. <u>असहयोग</u>

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी